

**झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग।**

प्रेषक:- अवधेश कुमार जायसवाल,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई, राँची/दुमका।

राँची दिनांक:-

विषय:- समेकित रूप से विहित प्रपत्र में आवंटन अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 3713 दिनांक 12.07.19
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्रक्षेत्राधीन विभिन्न प्रमण्डल कार्यालयों से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आवंटन अधियाचना प्राप्त करते हुए समेकित रूप से विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्रमण्डलीय कार्यालयों को भी इसकी सूचना दी गई थी। बावजूद इसके छिटपुट रूप में अधियाचना प्राप्त हो रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि अपने प्रक्षेत्राधीन प्रमण्डलीय कार्यालयों से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु जिन योजनाओं के लिए आवंटन अबतक निर्गत नहीं हुआ है उन योजनाओं के लिए अधियाचना प्राप्त कर समेकित रूप से विहित प्रपत्र में प्रशासनिक स्वीकृत्यादेशवार 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि ससमय आवंटन निर्गत किया जा सके।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 4359

राँची/दिनांक:- 09/08/19

प्रतिलिपि:-लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता एवं वेब मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अवधेश कुमार जायसवाल)
सरकार के अवर सचिव।

08-19